

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2014-15 के लिये दिनांक 31 अगस्त, 2014 की स्थिति के अनुसार)

1. कर्मचारी का पूरा नाम एवं सेवा:- रणवीर सिंह रावत
2. सर्वगी:- श्रेणी 'ग'
3. वर्तमान धारित पद:- प्रबन्धक लेखा
4. वर्तमान वेतनमान:- 9:00-34800

क्र० सं०	जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गई।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम कौलागढ़, तहसील देहरादून, जिला देहरादून।	242 वर्ग मी० भूमि एवं आवास	आर०एस० रावत	क्रय	1996	180000.00 600000.00	4000000.00	-	-
2	ग्राम मथुरावाला, तहसील देहरादून, जिला देहरादून।	180 वर्ग मी० भूमि	श्रीमती सुशीला रावत	क्रय	2009	320000.00	800000.00	Nil	-

स्थान:- उत्तरकाशी।
दिनांक:- 23.09.2014

हस्ताक्षर 
कर्मचारी का नाम:- रणवीर सिंह रावत
पदनाम:- प्रबन्धक लेखा
विभाग:- स्वजल परियोजना, डी०पी०एम०यू०, उत्तरकाशी।

टिप्पणी:-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पत्र विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुये तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य ता भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

राज्याधीन सेवाओं के कर्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अरुण सिंह चौहान 2. वर्ग प्रबन्धी
3. वर्तमान धारित पद प्रबन्धी लेखा 4. वर्तमान वेतनमान 4600

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (दिनांक सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी दस्तावेज का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का कारण (क्रेय/हीज/बँधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकारी तथा सरकारी/कर्मिकों का विवरण जिससे अर्जित की गयी)	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति की वर्गीकृत अवस्था (₹ में)	अधुनिक
बुढ़ीपुड़ा जि. दे. दे.	आवास 0.0407 है	स्वयं, पत्नी	श्री तलवी सिंह नरेन्द्र सिंह	2006-07	4.68 लाख	13.50 लाख	शून्य	बैंक में रकम है. रफ्तार है. रफ्तार रफ्तार
बुढ़ीपुर जि. दे. दे.	भूमि 0.0498	स्वयं, पत्नी	श्री अरुण आ. ए. ल. मालिया	2010-11	13.00 लाख	15.00 लाख	शून्य	रफ्तार है. रफ्तार रफ्तार रफ्तार

(344)

स्थान: देहरादून
दिनांक: 15/9/14

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम अरुण सिंह चौहान
पद नाम प्रबन्धी लेखा
विभाग प्रबन्धी लेखा

- टिप्पणी :
1. 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कालखण्ड वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति विवरण/निर्देशन प्रारिक्तरी को अवगत प्रस्तुत की जाय, किन्तु अचल सम्पत्ति के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपलक्षण प्रस्तुत की जाय।
 2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिभू/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिभू/कमी का उपलक्षण 01 जनवरी को वार्षिक उपलक्षण सम्पत्ति अर्जित की जाय और यदि कोई अधिभू/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अर्जित किया जाय।
 3. यदि सम्पत्ति निर्दिष्ट आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो सामग्री में कुल क्रेय मूल्य अर्जित किया जाय और यदि मूल्यपत्र क्रेय कर उस पर भवन का विकास नहीं किया गया हो तो सामग्री 2 में भवन एवं मूल्यपत्र को मूल्य-पत्रक अर्जित करते हुए तदनुसार सामग्री 6 में मूल्य का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी मूल्य-पत्रक अर्जित किया जाय।
 4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी दस्तावेज के द्वारा स्वयं तथा उस पर अर्जित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

**राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2013-14 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)**

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा:- जगदीश चन्द्र काण्डपाल
3. वर्तमान धारित पद प्रबन्धक (लेखा)

2. संवर्ग ग
4. वर्तमान वेतनमान 9300-34800

जिला, तहसील और शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लौज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार/तथा उस उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी)	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट	भूमि 10 नाली	जगदीश चन्द्र काण्डपाल- स्वयं	उत्तराधिकार	पैतृक	पैतृक	1 लाख	-	-
नैनीताल, हल्द्वानी, नया छडैल आवाड	1 बीघा	जगदीश चन्द्र काण्डपाल- स्वयं	क्रय	1989	35000	10 लाख	-	-

स्थान नैनीताल
दिनांक 08.09.2014

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम जगदीश चन्द्र काण्डपाल
पद का नाम- प्रबन्धक लेखा
विभाग- जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, नैनीताल

टिप्पणी

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।


 जगदीश चन्द्र काण्डपाल
 प्रबन्धक लेखा
 जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, नैनीताल

राज्यीय सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 10/09/2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा बलराज गोडियाल 2. श्रेणी ए.ए.
3. वर्तमान धारित पद प्रोक. ए.ए. (ले.का.) 4. वर्तमान वेतनमान ₹ 7450-11500 (अनुभवी कक्षा)

जिले, तहसील और गांव या कस्बा जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवाक, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (संयोजक सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं का नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे साक्षात्कारी दस्तावेज का संख्या)	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का प्रकार (कम/सौदा/बचक/उत्तराधिकार/संप्रदाय/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अधिष्ठित की गयी	सम्पत्ति अधिष्ठित करने की तिथि/वर्ष	अर्जित लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति के वर्गीकरण आंक (₹ में)	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला- <u>देहली</u> <u>तहसील- डोईगाला</u> <u>गाँव- हंसू चक</u> <u>साइलम गी 2</u> <u>डोईगाला</u> (अ.क.)	<u>0.1155</u> <u>हंसू चक</u> <u>हंसू चक</u> <u>(अ.क.)</u>	<u>बलराज</u> <u>गोडियाल</u>	<u>अ.क.</u>	<u>24-3-2006</u>		<u>₹ 2000/-</u> <u>ला.क.</u>	<u>₹ 2000/-</u> <u>₹ 2000/-</u>	

स्थान रुद्रप्रयाग (Rudrapur)
दिनांक 9/09/2014

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम बलराज गोडियाल
पद नाम प्रोक. ए.ए. (ले.का.)
विभाग जिला प्रिंटिंग एवं स्टेशनर रुद्रप्रयाग

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'अ' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले अजेम्बर वर्ष के लिए अगस्त वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगस्त वर्ष की 31 जनवरी तक साधकित नियुक्ति/निर्वाहक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को कार्यात्मक उपरान्त सम्पत्ति अधिकार की जाय और यदि कोई आधिकार/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में उल्लिखित किया जाय।
 - यदि सम्पत्ति निर्मित आकाशीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में रूप में रूप हो तो सामान्य तः में कुल काय मूल्य अधिकतम किया जाय और यदि मूल्य काय कर उदा पर मान का निर्धारण नहीं किया गया हो तो सामान्य 2 में मान एवं मूल्य काय मूल्य-पूरा अधिकतम करते हुए तदनुसार सामान्य तः में मूल्य का मूल्य तथा मान निर्धारण की जायता को भी पूर्ण-पूर्ण उल्लिखित किया जाय।
 - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में साक्षात्कारी दस्तावेज को द्वारा स्वयं स्वयं स्वयं अधिकार विवरण के अन्य सन्दर्भों के नाम से उल्लिखित सम्पत्ति साधकित की जाय।

राज्यीय सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा प्रकार प्रकार-चक्र सेनावाल 2. वर्ग लिपिकीय (त)
3. वर्तमान क्षणिक पद पत्र-चक्र लेखा स्वयंसेवा परिभाषित 4. वर्तमान वेतनमान 5000-150-8000

जिला, तहसील और गांव या बाहर स्थिति का विवरण है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य मकान) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवा का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का माध्यम (कम/सीमा/बचक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस अधिष्ठित/अधिकारों का विवरण, दिनांक अधिष्ठा की गयी	सम्पत्ति अधिष्ठित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति में शामिल आय (₹ में)	अन्य विवरण
जिला- श्रीनगर तहसील- जाबलपुरी ग्राम- अमरावती	पैठक-अमरावती 500 वर्ग फीट पैठक-अमरावती 01 एकड़	संयुक्त (आरिफा सुबान)	उत्तराधिकारी	पैठक	2.50 लाख	4.00 लाख	0.40 लाख	पैठक सम्पत्ति
जिला- श्रीनगर तहसील- अमरावती ग्राम- अमरावती	अमरावती अमरावती 2000 वर्ग फीट	पैठक अनुमानित क्षेत्र जैनाजी	उत्तराधिकारी	1932	60000	400000	-	वर्तमान क्षेत्र का क्षेत्र के साथ

स्थान: अमरावती
दिनांक: 10.09.2014

हस्ताक्षर: [Signature]
अधिकारी का नाम: प्रकार-चक्र सेनावाल
पद नाम: पत्र-चक्र लेखा
विभाग: पत्र-चक्र लेखा

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रथम वर्ष 31 दिसम्बर को सम्पन्न होने वाले कलेक्टर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 31 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति विभाग/निर्वाह अधिकारी को उपरोक्त प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपराल प्रस्तुत की जाय।
 - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि कुछ शीर्षक पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/अमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/अमी के उपरान्त 01 जनवरी को शारदिक उपलब्ध सम्पत्ति अधिष्ठित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/अमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुन विवरण पत्र में अधिष्ठित किया जाय।
 - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य मकान के रूप में रूप की गई हो तो साम् 0 में शुद्ध कर मूल्यांकित किया जाय और यदि कुछ मूल्यांकन कर उस पर मकान का निर्माण कराया गया हो तो साम् 2 में मकान एवं मूल्यांकन को पुनः-पुनः अधिष्ठित करी हुए तदनुसार साम् 0 में भूमि का मूल्य तथा मकान निर्माण की लागत को भी पुनः-पुनः अधिष्ठित किया जाय।
 - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर अधिष्ठित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अधिष्ठित सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष-2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2014 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम :- सुभाष चंद्र एवं सेवा-
3. वर्तमान धारित पद : प्रबन्धक (लेखा)

2. संवर्ग :-
4. वर्तमान वेतनमान:- Pay - Band

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रेय/लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में लाख)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में लाख)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में लाख)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	0-9 स्कॉल	स्वयं	निक्रय पत्र	21-12-1998 वर्ष 1993	24000- 260000- लाख	2200000 लाख	शून्य	

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

अधिकारी/कर्मचारी का नाम : सुभाष चंद्र

पद नाम : प्रबन्धक (लेखा)

विभाग : स्वयं

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्व/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिक्व/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्व/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रेय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रेयमूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रेय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।


राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2013 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)

- 1 अधिकारी का पूरना नाम एवं सेवा- बृजमोहन द्विवेदी
3 वर्तमान धारित पद- प्रबन्धक (लेखा)

- 2 संवर्ग- लेखा
4 वर्तमान वेतनमान- 9300-34800

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आमवाला तल्ला, देहरादून	भूखण्ड- 2240 वर्ग फीट भवन निर्माण- 1200 वर्ग फीट	बृजमोहन द्विवेदी (स्वयं)	भूखण्ड क्रय श्रीमती साधना शर्मा, तपोवन एन्क्लेव, देहरादून	10.05.2002 जनवरी 2008	190000.00 900000.00	700000.00 1000000.00	0.00	

स्थान : गोपेश्वर
दिनांक: 05.09.2014

हस्ताक्षर 
अधिकारी का नाम- बृजमोहन द्विवेदी
पद नाम- प्रबन्धक (लेखा)
विभाग- स्वजल परियोजना

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवर की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 5 में कूल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया तो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

